आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.4.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0– 94 / 2015–16

राजेश्वर राय, पिता–रामकिशुन राय – वादी

बनाम

रामानंद राय – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचलाधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 279, दिनांक 28.02.2015 द्वारा वादी श्री राजेश्वर राय, पिता–राम किसुन राय, सा0–हाँसा की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के साथ निम्न विवरण की भूमि का दो–दो जमाबंदी कायम रहने की वजह से किसी एक जमाबंदी को रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 15 / 2014–15 के साथ अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसपर यह वाद प्रारंभ किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदी सं0
हाँसा अंचल–रानीगंज थाना नं0 58	1453	4537 4538	0.05 डी0 0.14 डी0 **कुल 0.19 डी0**	4851 II

पक्षकारों को सूचना निर्गत कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया। पक्षकारों की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना–अपना पक्ष एवं प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तदुपरांत उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया ।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान प्रतिवादी के पिता–सौफी राय उर्फ शोभन राय के नाम से दर्ज है। जिनसे निबंधित दस्तावेज सं0 8835, दिनांक 19.09.1963 ई0 को इनके पिता श्री राम किशुन राय द्वारा क्रय कर दखलकार होते हुए दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी सं0 1913 द्वारा प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य खरीदगी भूमि, कुल रकबा 1.24 एकड़ का वर्ष 1974 में लगान रसीद प्राप्त किया गया और वर्त्तमान में कुल 5.51½ एकड़ अन्य क्रय भूमि के साथ इनका जमाबंदी सं0 4851–II दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 2014 तक प्राप्त है। जिसमें भी वादग्रस्त भूमि का खाता, खेसरा अंकित है। अर्थात इनके द्वारा वर्ष 1974 से वर्ष 2014 तक लगान रसीद प्राप्त किया गया है।

इनका यह भी कहना है कि अक्टूबर 2014 में इन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि खतियानधारी शोभन राय उर्फ सौफी राय के नाम से भी वादग्रस्त भूमि का लगान रसीद कट रहा है। तदुपरांत प्रथम पक्ष द्वारा उनके जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी, रानीगंज के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। जिसके आलोक में हल्का कर्मचारी से स्थल जाँच कराया गया। हल्का कर्मचारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर केवालाधारी का दखल–कब्जा है एवं अंश भाग पर प्रतिवादी खतियानी रैयत के वंशज का दखल–कब्जा है। अतएव विपक्षी के दर्ज जमाबंदी को रद्द करते हुए प्रथम पक्ष का दर्ज जमाबंदी को यथावत रखे जाने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान विपक्षी के पिता–सौफी राय उर्फ शोभन राय के नाम से मकानमय सहन दर्ज है। जिसपर वे लोग पिता के समय से ही मकानमय सहन दखलकार है और पिता के नाम से जमाबंदी सं0 1453 दर्ज है तथा आज तक प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद कटाते आ रहे है। इनलोगों के नाम से और कोई जमीन नहीं है तथा इसी जमीन पर उनका मकानमय सहन, बाड़ी–झाड़ी अवस्थित है। प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष 1963 का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है वह जाली एवं फरेब है। प्रथम पक्ष का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी दखल नहीं रहा है। साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 26.02.2015 में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष के पिता राम किसुन राय का दर्ज जमाबंदी सं0 4851/11 बिना नामान्तरण वाद का दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी रामानंद राय, पिता–सोमन राय का मकानमय सहन बाड़ी–झाड़ी अवस्थित है तथा अंश भाग पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, दाखिल दस्तावेजों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का गहन परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का खतियान श्री सौफी राय, पिता–गोकुल राय के नाम से दर्ज है। जिसके मृत्योपरांत उनके उत्तराधिकारी विपक्षी रामानंद राय हैं। किन्तु वर्ष 1963 में खतियानी रैयत शोभन राय उर्फ सौफी राय द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 8835, दिनांक 19.09.1963 द्वारा प्रथम पक्ष के पिता–राम किशुन राय को बिक्री कर दी गयी। जिनके द्वारा वर्ष 1974 में जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद प्राप्त किया। लगान रसीद में कुल 1.24 एकड़ अंकित है तथा जमाबंदी सं0 1913 दर्ज है पर रसीद पर नामान्तरण वाद संख्या का उललेख नहीं है। वर्ष 2014 के संबंधित लगान रसीद में कुल रकबा 5.58½ एकड़ दर्ज है और जमाबंदी सं0 4851–II दर्ज है। जहाँ तक प्रथम केवाला का प्रश्न है तो इसे विपक्षी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। दूसरी ओर विपक्षी के पिता शोभन राय के नाम से भी वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी सं0 1453 खतियान के अनुसार ही दर्ज है और लगान वर्ष 2014 तक भुगतान है। अतएव एक हीं जमीन का दो जमाबंदी दर्ज होना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। प्रथम पक्ष का दर्ज

जमाबंदी सं0 4851–II बिना नामान्तरण वाद का दर्ज है। बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 में अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी को रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

अतएव उभय पक्षों के तर्को, अंचलाधिकारी, रानीगंज के प्रतिवेदन तथा संलग्न साक्ष्यों के आधार पर प्रथम पक्ष के दर्ज जमाबंदी सं0 4851–II में वादग्रस्त भूमि मौजा–हँासा, खाता 1453, खेसरा 4537, 4538, रकबा क्रमश– 05 डी0 एवं 14 डी0, कुल 19 डी0 भूमि का दर्ज जमाबंदी रद्द किया जाता है तथा अंचलाधिकारी, रानीगंज को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों के विधि सम्मत दस्तावेजों, दखल–कब्जा की स्पष्ट रूप से जाँच कर नामान्तरण की विहित प्रक्रिया अपनाते हुए दखल कब्जा की बिन्दु पर स्वयं स्थल जाँच करते हुए विधिवत नामान्तरण आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं तत्कालीन दोषी राजस्व कर्मचारी जिन्होंने बिना नामान्तरण आदेश के जमाबंदी दर्ज की है, को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रानीगंज को अनुपालनार्थ भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0 —
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0 —
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 74 (राज0) /रा0, अररिया, दिनांक 16/04/2016

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, रानीगंज को अनुपालनार्थ प्रेषित।

16.4.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया